

संशोधित आदेश

विभाग के आदेश क्रमांक 94627 दिनांक 20.08.2018 के द्वारा क्रम संख्या 1 पर अंकित श्री भानू प्रकाश यादव, सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता टोंक से सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता झालावाड़ किये गये स्थानान्तरण में आंशिक संशोधन करते हुए सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता झालावाड़ के स्थान पर सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता करौली में रिक्त पद पर पदस्थापन एतद्वारा किया जाता है।
यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(रंणु खण्डेलवाल)
अतिरिक्त निदेशक
महिला अधिकारिता

क्रमांक क्रमांक एफ 1(1)53/स्था/मअ/2012/ 97 047-59

जयपुर, दिनांक 20-9-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

24.09.18

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महोदया, मबावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, टोंक/झालावाड़/करौली।
4. उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं टोंक/झालावाड़/करौली।
5. सहायक निदेशक महिला अधिकारिता टोंक/झालावाड़/करौली।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक) महिला अधिकारिता, मुख्यालय को विभागीय साईट पर अपलोड करने बाबत।
7. श्री भानू प्रकाश यादव, सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता टोंक।
8. आदेश पत्रावली।

(रंणु खण्डेलवाल)
अतिरिक्त निदेशक
महिला अधिकारिता